न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 177–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–11–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 78/निगरानी/2001–02.

1. मोहम्मद अजीज तनय सत्तार मुसलमान
   निवासी ग्राम पिपरा तहसील चितरंगी
   जिला सीधी म0प्र0
2. मोहन तनय मरवहू मोट
   निवासी ग्राम पिपरा तहसील चितरंगी
   जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. छोटक तनय मनबहोरन लोहन मृत वारिस–
   (1) रघुली पत्नि व छोटक
   (2) शिवचरन
   (3) भोलाराम पुत्रगण छोटक
   निवासी ग्राम बरहटी तहसील चितरंगी
   जिला सीधी म0प्र0
2. रामरतन तनय घुरहू लोहार
   निवासी ग्राम बरहटी तहसील चितरंगी
   जिला सीधी म0प्र0
3. रामदास तनय रामेश्वर
   निवासी ग्राम बरहटी तहसील चितरंगी
   जिला सीधी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 22–11–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने अपने स्वत्व की भूमि का नक्शा तरमीम किये जाने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31–3–92 से राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लेकर प्रतिवेदन की पुष्टि की गई। तहसीलदार के आदेश से दुखी होकर अपर क़लेक्टर बैढन जिला सीधी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जानें पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–11–05 को निगरानी स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के सथ प्रत्यावर्तित किया कि सभी हितधारी व्यक्तियों को सुनकर उनकी आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत गुण–दोष पर आदेश पारित करें। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने सभी हितधारी व्यक्तियों को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये ही राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नक्शा तरमीम के आदेश दिये हैं। वादोक्त आराजी के 55 हिस्से में विभक्त होने के बावजूद मात्र 13 व्यक्तियों की उपस्थित में स्थल पंचनामा एवं स्थल निरीक्षण किया गया है और प्रतिवेदन में विवादित हिस्से पर आवेदकगण का कब्जा भी नहीं पाया है। तहसीलदार ने सभी 55 व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान न कर मात्र 13 व्यक्तियों की उपस्थिति में की गई कार्यवाही की पुष्टि करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर द्वारा भी तहसीलदार के अनियमित आदेश की पुष्टि करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की है। इसलिए अपर आयुक्त द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत

निगरानी में आदेश पारित करते हुये विस्तार से विवचेना कर आदेश पारित किया है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर सभी हितधारी व्यक्तियों को सुनकर उनकी आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत गुण–दोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार प्रत्यावर्तित किया है। अपर आयुक्त द्वारा विधिवत विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 22–11–2005 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर